**राजस्थान सरकार**
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**
**(पंचायती राज)**

क्रमांक: एफ.17(ई)परावि/प्र.2/संस्था/परिपत्र/2014/1012 जयपुर,दिनांक: 22/2/18

## –:: संशोधित आदेश ::–

इस विभाग के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 24 दिनांक 03.01.2018 में यह प्रावधान किया गया था कि किसी परिवाद अथवा शिकायत की जाँच करने से पूर्व कुछ बिन्दुओं की पालना करवाई जायेगी तथा परिवाद के साथ परिवाद के सत्य होने व आवेदक के परिचय बाबत एक शपथ पत्र 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर, शपथग्रहिता से सत्यापित संलग्न होना अनिवार्य होगा।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन किया जाता है कि शपथ पत्र 10 रूपये के स्थान पर **50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर**, शपथग्रहिता से सत्यापित संलग्न होना अनिवार्य होगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

**(राजेन्द्र शेखर मक्कड)**
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गाँधी नरेगा।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
8. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
9. प्रोग्रामर, पंचायती राज मुख्यालय को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

D:\ACJS_N\Orders A2.docx